



भारी वाहन निर्माणी HEAVY VEHICLES FACTORY
आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेडकी इकाई UNIT OF ARMoured VEHICLES NIGAM LIMITED
भारत सरकार का उद्यम A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE



APPLICATION FOR TRADE APPRENTICESHIP TRAINING												Applied For <input type="checkbox"/> NON-ITI / <input type="checkbox"/> ITI			
Name of the Candidate :												(Paste Recent and Clear Passport size Photograph)			
PERSONAL DETAILS															
Father's Name :															
Mother's Name :															
NON-ITI [FITTER / MACHINIST / WELDER] Your Trade Choice 1: _____ 2: _____															
ITI TRADE <input type="checkbox"/> ELECTRICIAN <input type="checkbox"/> ELECTRONICS MECHANIC <input type="checkbox"/> FITTER <input type="checkbox"/> MACHINIST <input type="checkbox"/> PAINTER <input type="checkbox"/> WELDER															
Aadhar No: _____				Date of Birth: _____				Age : _____							
Physically challenged: YES / NO, If Yes _____ %						Gender : Male / Female / Transgender				Category : UR / OBC / SC / ST					

EDUCATIONAL QUALIFICATION (X Std / MATRICULATION / Madhyamik)			
Board of Exam :		Year of Passing :	Name of the School :
Mathematics Marks _____ %	Science Marks _____ %	Total Marks: _____ / _____	Aggregate Marks _____ %

TECHNICAL QUALIFICATION (For Ex-ITI Candidates)			
Name & Address of the Institute :		Trade :	Year of Passing :
1 st Year Marks _____	2 nd Year Marks _____	Total Marks (in All semesters): _____ / _____	Aggregate Marks _____ %

CONTACT DETAILS															
Door No / Street :								Area :							
City :								District :							
State :								Pincode : _____							
MOBILE NO1: [With WhatsApp]								MOBILE NO2: [With WhatsApp]							
+	9	1													
E-Mail	id														

List of Documents (Self-Attested in Xerox) to be enclosed						Please tick ✓ the enclosed					
<input type="checkbox"/> X Std Marksheet		<input type="checkbox"/> Aadhar Card				<input type="checkbox"/> ITI Marksheet (All Semesters / Consolidated)			<input type="checkbox"/> PH/PWD Certificate		
<input type="checkbox"/> Transfer Certificate / School Leaving Certificate						<input type="checkbox"/> Category Certificate - OBC (Non Creamy Layer)/SC/ST					
<input type="checkbox"/> ITI – National Trade Certificate						<input type="checkbox"/> Any Nationalized Bank Passbook (compulsory at the time of joining)					
<input type="checkbox"/> IPO / <input type="checkbox"/> SBI Collect		IPO No / Trans. No: _____				Dated: _____		Amount: _____			

DECLARATION															
I declare that I have read, understood and agree that the information provided by me in the application is true to the best of my knowledge. If any information is found wrong or deviates from the facts, I will be ineligible and my candidature shall remain liable to be cancelled at any stage without issue of any notice. In case I am selected on false / incorrect information, furnished by me, the selection shall also stand terminated. I also undertake that in respect of interpretation of the clauses / rules relevant for engagement of trade apprentices, AVNL / HVF shall have all the rights.															
I understand that in case of failure to submit all documents (viz., Qualifications, DOB, Caste, PH Certificates, etc.) as mentioned in the advertisement, at the time of document verification by AVNL / HVF, my application shall be summarily rejected.															
DATE: PLACE:								SIGNATURE OF THE CANDIDATE							



भारी वाहन निर्माणी HEAVY VEHICLES FACTORY
आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेडकी इकाई UNIT OF ARMOURED VEHICLES NIGAM LIMITED
भारत सरकार का उद्यम A GOVT. OF INDIA ENTERPRISES
रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE

HVF ADVERTISEMENT No. 24-01/HVFTS/59th TA/2024

Date: 08-06-2024

Under Skill India Mission of Government of India, Applications are invited from willing Indian citizens for engagement of 59th Batch (for Non-ITI & ITI candidates) of Trade Apprenticeship Training under the Apprentices Act 1961 and amendments thereof in AVNL/HVF. The engaged apprentices shall be imparted training in the **HEAVY VEHICLES FACTORY, AVADI, CHENNAI – 600 054.**

Important Note: Candidates who have already applied through the Government of India portal (www.apprenticeship.gov.in) are required to re-apply. Candidates who have already undergone apprenticeship and have National Apprentice Certificate (NAC) are not eligible to apply.

1. FILLED APPLICATION TO BE SUBMITTED:

Submission of Application Starts from	08-06-2024
Last date & time of Application reaching the factory	22-06-2024 (16.45 Hours)

2. AGE LIMIT: Between 15 to 24 years as on **22-06-2024**, Relaxation in Upper age limit is permitted as under:

Age for	Minimum (in years)	Maximum (in years)
UR	15	24
OBC		27
SC/ST		29
PH		Maximum Age limit for each category (UR,OBC,SC,ST) is further relaxed by 10 years
For ITI Candidates		Upper age limit is further relaxed by the period of training already undergone as per the normal duration of NCVT/SCVT, in the relevant Trade

3. ESSENTIAL QUALIFICATION: As on date of notification i.e., 22-06-2024

a.	Non-ITI	Should have Passed Madhyamik (class X std or equivalent) as on date of notification for applying with minimum 50% marks as per criteria of that Board. (as per their Marksheet) and with minimum 40% marks in Mathematics and Science each.
b.	ITI	1. The candidate must have passed Madhyamik / Class X std or equivalent. 2. In addition, candidate should have passed relevant trade test from any institute recognized by NCVT or SCVT or any other authority specified through Gazette notification of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship/Ministry of Labour and Employment with duration as per the Apprentice Act 1961 with minimum 50% marks. The relevant trade to be considered will be strictly on the basis of Schedule I of Apprentice Act 1961 (and amendments thereof).

4. VACANCY DETAILS:

SL. NO	NAME OF THE TRADE	NON-ITI / EX ITI	UR	OBC	SC	ST	TOTAL	PH		
								OH	HH	VH
1	FITTER	NON ITI	16	9	7	0	32	0	1	0
2	MACHINIST	NON ITI	18	10	7	1	36	0	0	1
3	WELDER	NON ITI	12	7	5	0	24	1	0	0
TOTAL			46	26	19	1	92	3*		
4	ELECTRICIAN	EX ITI	20	12	5	1	38	2	0	0
5	ELECTRONICS MECHANIC	EX ITI	7	3	0	0	10	0	0	0
6	FITTER	EX ITI	24	13	8	0	45	0	1	1
7	MACHINIST	EX ITI	23	14	5	1	43	1	1	0
8	PAINTER	EX ITI	0	3	2	0	5	0	0	0
9	WELDER	EX ITI	13	2	5	0	20	1	1	0
TOTAL			87	47	25	2	161	8*		

* In specified PH vacancies may be interchangeable.

- The above mentioned notified vacancies are provisional.
- The Ex-ITI candidates can apply against one of the designated trades i.e. trades which are compatible to the trade on which training was undertaken at ITI only.
- PH/PWD candidates can also apply against vacancies as per their eligibility. Their selection will be done as per prevailing vacancies against each trade during the selection process, considering their suitability as per provisions of Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules, 1992 and amendments thereof.
- When the prescribed number of persons belonging either to the Scheduled Castes (SC) or to the Scheduled Tribes (ST) are not available, the training places so reserved for them may be filled by persons belonging to the ST or as the case may be, to the SC and if the prescribed training places cannot be filled even in the above given manner, then the training places so lying unfilled may be filled by persons not belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. Similarly, if the prescribed training places reserved for Other Backward Classes cannot be filled from the OBC, then the training places so lying unfilled may be filled by persons not belonging to the OBC.

5. HOW TO APPLY:

- Candidates will have to download the Application form through the www.avnl.co.in under "Career" Tab shown in this advertisement. No other format of application shall be entertained. Candidates are required to read the instructions indicated in the advertisement thoroughly before filling the application.
- Candidates must fill their personal details in capital letters only. Candidates should ensure that their name, father's name, date of birth, marks obtained shall exactly match with what is recorded in Matriculation or equivalent and ITI certificate etc. Any deviation found during Document Verification may result in cancellation of candidature and debarment.
- Candidates are advised to indicate their active mobile number and valid e-mail ID in the Application and keep them active during the entire engagement process as all important messages will be sent by email/SMS, which will be treated as deemed to have been read by the candidates.

- d) While filling up the application form, the applicant must **paste recent clear color photograph** (size 3.5 cm x 3.5 cm) in the space provided (taken not later than three months from the date of application).
- e) The name in Aadhaar Card should match with certificates.
- f) Unclear / illegible documents shall not be accepted and the candidate's application will be rejected at the time of verification of documents. If the enclosed documents are irrelevant or not legible, the candidature of the candidate may be summarily rejected.
- g) Candidates are required to send their filled application form by ordinary post along with all documents in an Envelope super scribed in block letters "**59TH BATCH TRADE APPRENTICES**" to the following address before the closing date and time.

To

**THE CHIEF GENERAL MANAGER,
HEAVY VEHICLES FACTORY,
AVADI, CHENNAI – 600054.
TAMILNADU.**

The Application must reach the above address on or before the closing date and time (22-06-2024 16.45 Hours). Late submission of the applications (after closing date and time) is not eligible.

- h) Only one application from a candidate will be accepted. Candidates trying to submit more than one application with different particulars like Name/Father's name/Community/Photo/educational and/or technical qualification etc. are informed that all such applications will be summarily rejected.

6. MODE OF SELECTION:

Selection will be done on the basis of merit list. The merit list will be prepared separately for NON-ITI and EX-ITI category. The merit list for NON-ITI category will be prepared on the basis of overall percentage of marks in Madhyamik or matriculation (Class X standard or equivalent), aggregate in all subjects or best of 5 subjects as per criteria of that 10th Board, as entered by the candidate in the application form. Candidate shall submit original mark sheet of Madhyamik Board (Class X std. or equivalent). For NON-ITI category, common merit list will be prepared and the trades will be allotted by factory on Merit-cum-choice basis after selection / joining. In case of CGPA/GPA grading obtained by the candidate one has to enter marks (and not CGPA grading) by conversion as per one's 10th standard board criteria (in case candidates incorrectly filling up the CGPA grading beside clear instructions, it will be converted to percentage by standard multiplication factor of 9.5 uniformly irrespective of their board criteria. This formula shall be used for all such candidates, either for whom there is absence of clear instruction from the concerned 10th Board or those who use incorrect ratio, different from the one mandated by the concerned 10th Board. The marks / percentage will be considered for preparing merit list). In case the candidate's class Xth board declares the matriculation result in form of grades like A+/A/B+/B/C+/C etc, then the candidate needs to enter the percentage of marks obtained as per 10th board criteria. The candidate shall submit original marksheet of Class 10th at the time of document verification. In case the corresponding board doesn't possess conversion formula, then following table shall be used to calculate percentage from grades.

GRADE	RANGE OF MARKS	PERCENTAGE
A+	90-100	95%
A	80-89	84.5%
B+	70-79	74.5%
B	60-69	64.5%
C+	50-59	54.5%
C	40-49	44.5%

The Merit List for Ex-ITI category will be prepared trade-wise, on the basis of Madhyamik or matriculation passed and percentage of marks in ITI (minimum 50% in ITI). percentage of ITI marks mentioned in provisional/final certificate will be taken.

Based on the vacancy position, select lists will be prepared and only provisionally selected candidates will be called for document verification and medical examination.

Tie Resolution:

For preparation of merit list, in case of two candidates having the same marks/percentage (tie case), the candidates with older age shall be preferred. If the dates of birth are also the same, then the candidates who passed Matriculation examination earlier (Year) shall be considered first. Even if the Year of passing of Matriculation examination is same, the candidate name in alphabetical order appearing first will be considered first.

In case of any mistake or error by oversight or otherwise, HVF reserves the right to take action to revise select list of eligible candidates, as deemed fit, at any point of time and in this regard, the decision of AVNL/HVF shall be final.

7. RESERVATION FOR SC/ST/OBC & PH CANDIDATES:

Reservation is applicable as per the relevant schedule in the Rules under the Apprentice Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof and the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and existing Government Rules. Vacancies notified against PH/PWD category are not separate but included in the total number vacancies as per provision. Final selection of the candidates will be made in order of merit in each category, separately as per applicable Reservations Rules.

8. DURATION OF TRAINING:

For Non-ITI and ITI candidates: Duration of Training period shall be as specified in the Apprentice Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof. However, for Ex-ITI candidates, training period will be reduced as per schedule I of Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof in the respective trade.

9. STIPEND:

The minimum stipend per month shall be paid to the trade apprentices (as per the provision of sub-rule(1) of rule 11 of the Apprenticeship Rules,1992). According to the Trade Apprentice Act 1961 & as per The Gazette notification of India, G.S.R. 686(E), Part-II-Section 37-Sub-section(i) Dtd. September 25, 2019, the stipend paid to apprentices per month shall be.

NON-ITI(Matriculation/ Xth Class Candidate)	For 1 st year ₹ 5000/₹ 6000 and II nd year ₹ 5500/₹6600
EX-ITI (ITI Pass candidate)	For 1 year Trade ₹ 7700 For 2 years Trade ₹ 8050

No other allowances will be paid during the entire period of apprenticeship training.

Note: At the time of joining, the candidate should submit a copy of his/her **BANK PASSBOOK** (Any Nationalized bank With clear Account number and IFSC Code).

10. STANDARD OF PHYSICAL FITNESS:

As per the Apprentice Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof.

11. MEDICAL EXAMINATION:

After successful document verification of the provisionally selected candidates, medical examination will be conducted / decided by HVF. Date, Time and Venue of Medical Examination will be communicated separately. Candidates medically FIT in medical examination will be considered for further process of Trade Apprentices engagement.

12. TERMS & CONDITIONS:

The selected candidates will have to execute a Contract of Apprenticeship (if minor, by his/her guardian). Based on **availability**, the Apprentices may be provided with quarters/hostel sharing accommodation. During the training, the Apprentices are entitled for MEDICAL treatment from Ordnance Factory Hospital, HVF Estate, Avadi only as per rules. If a candidate is selected as Trade apprentice, against the designated trades, his/her training shall be subject to registration through www.apprenticeshipindia.gov.in.

If due to any reason the registration process are not able to register the candidate in the apprenticeship portal, the training of the candidate shall be terminated immediately. The Candidate who have completed the period of training will, on passing a test to be conducted by the National Council for Training (NCTV) in Vocational Trades to determine his/her designated proficiency in which he/she has served, as an Apprentice, will be given a certificate of proficiency in the trade by the National Council.

In the event of premature termination of Contract of Apprenticeship for failure on the part of apprentice to carry out the terms and conditions of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules 1992) and amendments thereof, the candidate/surety has to pay such amount as is determined by the Apprenticeship Adviser as and towards the cost of training.

13. OFFER & ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT:

It shall not be obligatory on the part of the Employer to offer any employment to any Apprentice after completion of the training, nor shall it be obligatory for the Apprentices to accept any employment, if offered by the Employer. The candidates are advised to get themselves familiarised with the rules and regulations under the Apprentices Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof and Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

14. PAYMENT OF FEE:

Application fee for UR & OBC Candidates – ₹100/- (Non-refundable). Application fee exempted for SC/ST/PWD/Others (Transgender). Fee once paid shall not be refunded under any circumstances or reused / adjusted. Fee payment will have to be made through IPO (Indian Postal Order) / SBI Collect [**SBI Collect ▶ PSU (Public Sector Undertaking) ▶ Tamil Nadu ▶ Armoured Vehicles Nigam Limited, Tamil Nadu ▶ Select Payment category ▶ HVF – Apprentice Fee and Proceed for further Payment procedure**].

15. MEDICAL FITNESS

A person shall be eligible for being trained under the Apprentices Act, 1961 and Apprenticeships Rules, 1992, as amended from time to time, if he or she satisfies the minimum standards of physical fitness as prescribed therein for imparting training in the relevant trades which will be certified by the Ordnance Factory hospital - HVF.

16. HELPDESK

For any doubt being faced while filling Application, candidates can contact through official e-mail id: hvfhrd@ord.gov.in and also call on telephone number **044-26843862, 044-26843864 and 044-26843215** from 09:00 a.m. to 12:30 and 2.00 pm to 16:30 p.m. on all working days.

17. GENERAL INFORMATION TO CANDIDATES:

Candidates are advised to note the following instructions carefully:

- I. Candidates will have to download the application form through the www.avnl.co.in under “**Career**” Tab appearing in this advertisement. Candidates are advised to go through the detailed advertisement of HVF carefully.
 - II. It is to be noted that mere submission of application does not guarantee induction as trade apprentice in HVF. The selection of candidates will be made based on Trade-wise Merit List / Select List considering available vacancies category-wise. The candidature of all applicants shall be purely provisional at all stages of selection process. The candidature and selection of candidates shall also be subject to scrutiny of original credentials/documents, clear police verification report, medical test and other eligibility criteria as mentioned in the advertisement and provisions of Act Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules, 1992 and all amendments thereof. However, pending / delay in police verification report shall not be ground to reject engagement of candidate.
 - III. The candidates are required to carefully go through the advertisement in detail. The candidates are advised to carefully fill the marks /percentage obtained in educational eligibility criteria. The candidates have to agree to the terms and conditions of this advertisement before submission of their application against this Advertisement. A checklist for documents to be submitted along with the application and the candidates are required to confirm themselves that they fulfil all the conditions in this advertisement before filling / sending their hardcopy of the application.
 - IV. Candidates are required to regularly check the website (www.avnl.co.in) under “**Career**” Tab for opening / closing date of submitting applications, for any updates and changes.
 - V. Candidates are required to give valid mobile number and e-mail id for periodical notices.
 - VI. Canvassing of any kind will disqualify the candidate. Selection process is done strictly on merit.
 - VII. Candidates are advised not to fall prey to any unscrupulous elements.
 - VIII. Any material suppression of facts or submitting forged certificates shall lead to rejection of his/her candidature at any stage of selection of this process.
 - IX. Decision of AVNL/HVF in all matters relating to the vacancy, eligibility, acceptance/rejection of any application etc. shall be final and binding on the candidate and no query/correspondence shall be entertained in this regard.
 - X. Any subsequent changes in the terms and conditions of the engagement of Trade Apprentices as per the extant rules will stand good. AVNL/HVF reserves the right to incorporate any subsequent changes/modifications/additions in the terms & conditions under this advertisement notice as necessitated and applicable. Any corrigendum may be published only in the website (www.avnl.co.in).
 - XI. Any dispute with regard to the engagement of Trade Apprentices will be subject to courts/tribunals having jurisdiction over the Chennai.
 - XII. No Transport Allowance shall be admissible to any candidates called for Documents Verification / Medical Examination.
 - XIII. All the provisions of Act Apprentices Act, 1961 and Apprenticeship Rules, 1992 and all amendments thereof as on date are applicable.
- NOTE-I:** To avoid last minute rush, candidates are advised in their own interest to submit application well before the closing date and time.
- NOTE-II:** HVF will not accept any responsibility for the candidates not being able to submit their application within the last day on account of aforesaid reasons or any other reasons thereof.

18. REJECTION OF CANDIDATURE:

Candidates are requested to read all instructions carefully & thoroughly before filling the application form. Their applications, otherwise, are likely to be rejected on one or more of the

following reasons. The application or candidature of the candidate may be rejected for any of the following reasons:

- I. Incomplete Application, unclear or illegible documents submitted.
- II. Application form other than downloaded format (through website www.avnl.co.in) or handwritten / self-typed Applications.
- III. Does not possess the prescribed qualification as indicated in this advertisement to undergo the trade apprenticeship in HVF as on date of this advertisement.
- IV. Over aged or under aged or Date of Birth not filled / not clear or wrongly filled.
- V. Double or multiple applications submitted. The candidature will also be cancelled on applying for both ITI and Non-ITI vacancies.
- VI. Only a single application will be entertained. In respect of multiple applications, the latest application shall be considered.
- VII. Application without photo, photo with cap, wearing goggles, disfigured, unrecognizable or unclear or unidentifiable photo. Applications without signature, unclear documents submitted.
- VIII. Candidate's name is figuring in the debarred list.
- IX. Any other irregularities which may render the candidature of applicant invalid by HVF.
- X. Mismatch of Name, Father's name, Date of Birth, marks submitted and year of passing in the application form with the 10th certificate/ITI certificate.
- XI. Irrelevance between the applied trade and the ITI trade certificate i.e. applications submitted without prescribed educational / Technical (ITI) qualifications in various designated trades as indicated in advertisement.
- XII. Application Processing fees either partially or not submitted/enclosed as Original IPO (Indian Postal Order) / SBI Collect.
- XIII. Invalid IPO (Indian Postal Order) enclosed with Application form.

19. Enclosures to be attached with Application Form:

Legible copy of the following documents

1. To all Candidates (Non-ITI and Ex-ITI):

- a. Aadhaar Card
- b. SSC (Matriculation / 10th Standard) or its equivalent marksheet.
- c. Transfer Certificate / School Leaving Certificate
- d. Caste certificate for SC/ST/OBC (Non Creamy Layer) candidates, wherever applicable. For OBC Non-Creamy layer certificate issued in last three years.
- e. In case of PH/PWD candidate, Physical Disability certificate issued by the competent Medical Board/ Authority.

2. Ex-ITI Candidates:

In addition to the above documents

- a. Consolidated mark sheet for all semesters of the relevant ITI Pass trade against which applied.
- b. National Trade Certificate issued by NCVT or Provisional National Trade Certificate issued by NCVT / SCVT for ITI pass candidates.

भारी वाहन निर्माणी / HEAVY VEHICLES FACTORY
आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की इकाई / UNIT OF ARMOURVED VEHICLES NIGAM LIMITED
भारत सरकार का उद्यम / A GOVT. OF INDIA ENTERPRISES
रक्षा मंत्रालय / MINISTRY OF DEFENCE

एच. वी. एफ. विज्ञापन संख्या. 24-01/HVFTS/59th TA/2024

दिनांक: 08-06-2024

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के तहत, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 एवं ए. वी. एन. एल. / एच. वी. एफ. में इसके संशोधन के तहत ट्रेड अपरेंटिस प्रशिक्षण के 58वें बैच (गैर-आईटीआई और आईटीआई उम्मीदवारों के लिए) की नियुक्ति इच्छुक भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रशिक्षण के लिए चयनित प्रशिक्षुओं को **भारी वाहन निर्माणी, आवडी, चेन्नई - 600 054** में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट :जिन उम्मीदवारों ने भारत सरकार के पोर्टल (www.apprenticeship.gov.in) के माध्यम से पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अप्रेंटिसशिप कर ली है और जिनके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट (एनएसी) है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

1. भरे हुए आवेदन प्रस्तुत करने का विवरण :

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि	08-06-2024
निर्माणी में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि & समय	22-06-2024 (16:45 घंटे)

2. आयु सीमा: 22-06-2024 को 15 से 24 वर्ष के बीच। ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की अनुमति है :

के लिए आयु	न्यूनतम (वर्षों में)	अधिकतम (वर्षों में)
यू. आर.	15	24
ओ. बी. सी.		27
एस. सी. / एस. टी.		29
पी. एच.		प्रत्येक श्रेणी (यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की और छूट दी गई है
आई. टी. आई. उम्मीदवारों के लिए		प्रासंगिक ट्रेड में एनसीवीटी/ एससीवीटी की सामान्य अवधि के अनुसार पहले से ही प्रशिक्षण की अवधि से ऊपरी आयु सीमा में और छूट दी गई है।

3. अनिवार्य योग्यता: अधिसूचना की तारीख के अनुसार यानी 22-06-2024

क.	गैर-आई. टी. आई.	उस बोर्ड के मानदंड के अनुसार न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदन करने के लिए अधिसूचना की तिथि के अनुसार माध्यमिक (दसवीं कक्षा या समकक्ष) उत्तीर्ण होना चाहिए। (उनकी मार्कशीट के अनुसार) और गणित और विज्ञान प्रत्येक में न्यूनतम 40% अंकों के साथ
ख.	आई. टी. आई.	1. एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय / श्रम और रोजगार मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अपरेंटिस अधिनियम 1961 के अनुसार प्रासंगिक ट्रेड टेस्ट पास होना चाहिए। संबंधित ट्रेड अपरेंटिस अधिनियम 1961 की अनुसूची के आधार पर होगा। 2. उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त, दसवीं कक्षा या समकक्ष में सभी विषयों में न्यूनतम कुल 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

4. विवरण:

क्रम सं.	ट्रेड का नाम	गैर आई. टी. आई. / पूर्व आई. टी. आई.	यू. आर	ओ. बी. सी	एस. सी	एस. टी	कुल	पी. एच.		
								ओ. एच	एच. एच	वी. एच
1	फिटर	गैर आई. टी. आई.	16	9	7	0	32	0	1	0
2	मशीनिस्ट	गैर आई. टी. आई.	18	10	7	1	36	0	0	1
3	वेल्डर	गैर आई. टी. आई.	12	7	5	0	24	1	0	0
कुल			46	26	19	1	92	3*		
4	इलेक्ट्रीशियन	पूर्व आई. टी. आई.	20	12	5	1	38	2	0	0
5	इलेक्ट्रॉनिक्स मेकानिक	पूर्व आई. टी. आई.	7	3	0	0	10	0	0	0
6	फिटर	पूर्व आई. टी. आई.	24	13	8	0	45	0	1	1
7	मशीनिस्ट	पूर्व आई. टी. आई.	23	14	5	1	43	1	1	0
8	पेंटर	पूर्व आई. टी. आई.	0	3	2	0	5	0	0	0
9	वेल्डर	पूर्व आई. टी. आई.	13	2	5	0	20	1	1	0
कुल			87	47	25	2	161	8*		

क) उपर्युक्त अधिसूचित रिक्तियां अनंतिम हैं।

ख) भूतपूर्व आईटीआई उम्मीदवार किसी एक नामित ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं, अर्थात ऐसे ट्रेड जो उस ट्रेड के अनुकूल हों, जिस पर केवल आईटीआई में प्रशिक्षण लिया गया था।

ग) पी. एच. / पी. डब्ल्यू. डी. उम्मीदवार भी अपनी पात्रता के अनुसार रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनका चयन अपरेंटिस अधिनियम 1961 एवं अपरेंटिसशिप नियमावली, 1992 के प्रावधानों एवं उसमें संशोधनों के अनुसार उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक ट्रेड के अनुसार प्रचलित रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

घ) जब अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित व्यक्तियों की निर्धारित संख्या उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थान एसटी से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकते हैं या जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जाति के लिए और यदि निर्धारित प्रशिक्षण स्थानों को ऊपर दिए गए तरीके से भी नहीं भरा जा सकता है तो इस तरह के खाली पड़े प्रशिक्षण स्थानों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों द्वारा नहीं भरा जा सकता है। इसी प्रकार, यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित निर्धारित प्रशिक्षण स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं भरा जा सकता है तो इस प्रकार के रिक्त पड़े प्रशिक्षण स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों द्वारा नहीं भरा जा सकता है।

5. आवेदन कैसे करें :

क) उम्मीदवारों को इस विज्ञापन में दिखाए गए लिंक www.avnl.co.in के माध्यम से आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा। आवेदन के किसी अन्य प्रारूप पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक है।

ख) उम्मीदवारों को अपना व्यक्तिगत विवरण बड़े अक्षरों में सावधानी से भरना होगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, प्राप्त अंक मैट्रिकुलेशन या समकक्ष और आई. टी. आई. प्रमाण-पत्र आदि में दर्ज किए गए अंकों के साथ बिल्कुल मेल खाते हों। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाए गए किसी भी भूल के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द और डिबारमेंट किया जा सकता है।

ग) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में अपने सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आई. डी. का संकेत दें और उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संदेश ई-मेल / एस. एम. एस. द्वारा भेजे जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवारों द्वारा पढ़ा गया माना जाएगा।

घ) आवेदन पत्र भरते समय, आवेदक को प्रदान की गई जगह में हाल में लिए गए रंगीन फोटोग्राफ (आकार 3.5 सेमी 3.5 सेमी) चिपकाना होगा (आवेदन की तारीख से तीन महीने पहले तक ली गई फोटोग्राफ होनी चाहिए)।

ड) आधार कार्ड में नाम प्रमाण-पत्रों से मेल खानी चाहिए।

च) अस्पष्ट / अपठनीय दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और दस्तावेजों के सत्यापन के समय उम्मीदवार का आवेदनअस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि संलग्न दस्तावेज अप्रासंगिक हैं या पढ़ने योग्य नहीं हैं, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत अस्वीकार की जा सकती है।

छ) उम्मीदवारों को अपने भरे हुए आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ एक लिफाफे में बड़े अक्षरों में **"59TH BATCH TRADE APPRENTICES"** लिखकर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले निम्नलिखित पते पर भेजना होगा।

To
THE CHIEF GENERAL MANAGER,
HEAVY VEHICLES FACTORY,
AVADI, CHENNAI – 600054.
TAMILNADU.

आवेदन की अंतिम तिथि और समय (22-06-2024, 16.45 घंटे) पर या उससे पहले उपरोक्त पते पर पहुंचना चाहिए। आवेदन देर से जमा करने (अंतिम तिथि और समय के बाद) पर विचार नहीं किया जाएगा।

ज) एक उम्मीदवार से केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। नाम/ पिता का नाम/ समुदाय/ फोटो/ शैक्षिक और/ या तकनीकी योग्यता आदि जैसे विभिन्न विवरणों के साथ एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6. चयन करने की विधि :

चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। गैर-आई.टी.आई. और पूर्व आई.टी.आई. वर्ग के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। गैर-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए योग्यता सूची माध्यमिक या मैट्रिक (दसवीं कक्षा या समकक्ष) में अंकों के कुल प्रतिशत, सभी विषयों में कुल मिलाकर या उस 10वीं बोर्ड के मानदंड के अनुसार 5 विषयों में से सर्वश्रेष्ठ, जैसा कि उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किया है के आधार पर तैयार किया जाएगा। उम्मीदवार माध्यमिक बोर्ड (दसवीं कक्षा या समकक्ष) की मूल मार्कशीट जमा करेगा। गैर-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए, सामान्य मेरिट सूची तैयार की जाएगी और चयन/जॉइनिंग के बाद ट्रेडों को मेरिट-कम-च्वाइस के आधार पर निर्माणी द्वारा आवंटित किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सी.जी.पी.ए./जी.पी.ए. ग्रेडिंग के मामले में किसी को अपने 10वीं कक्षा के बोर्ड मानदंडों के अनुसार रूपांतरण द्वारा अंक (और सी.जी.पी.ए. ग्रेडिंग नहीं है) दर्ज करना होगा (यदि उम्मीदवार स्पष्ट निर्देशों के साथ सी.जी.पी.ए. ग्रेडिंग को गलत तरीके से भरते हैं, तो इसे उनके बोर्ड मानदंड के बावजूद समान रूप से 9.5 के मानक गुणा कारक द्वारा प्रतिशतपरिवर्तित कर दिया जाएगा। इस सूत्र का उपयोग ऐसे सभी उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा, जिनके लिए संबंधित 10वीं बोर्ड से स्पष्ट निर्देश का अभाव है या जो गलत अनुपात का उपयोग करते हैं, जो संबंधित 10वीं बोर्ड द्वारा अनिवार्य से अलग है। योग्यता सूची तैयार करने के लिए अंक/प्रतिशत पर विचार किया जाएगा। यदि उम्मीदवार का दसवीं कक्षा का बोर्ड ए+/ए/बी+/बी/सी+/सी आदि जैसे ग्रेड के रूप में मैट्रिक का परिणाम घोषित करता है, तो उम्मीदवार को 10वीं बोर्ड के मानदंडों के अनुसार प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्ज करना होगा। उम्मीदवारको 10वीं कक्षा की मूल मार्कशीट जमा करना होगा। यदि संबंधित बोर्ड के पास रूपांतरण सूत्र नहीं है, तो ग्रेड से प्रतिशत की गणना करने के लिए निम्न तालिका का उपयोग किया जाएगा।

ग्रेड	अंकों का रेंज	प्रतिशत
A+	90-100	95%
A	80-89	84.5%
B+	70-79	74.5%
B	60-69	64.5%
C+	50-59	54.5%
C	40-49	44.5%

मैट्रिक और आई.टी.आई. दोनों में अंकों के साधारण औसत प्रतिशत (प्रत्येक में कुल मिलाकर न्यूनतम 50%) के आधार पर पूर्व-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए मेरिट सूची ट्रेड-वार तैयार की जाएगी। मैट्रिक के प्रतिशत की गणना के प्रयोजन के लिए, आवेदन में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों और भरने पर विचार किया जाएगा (उस 10 वीं बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार सभी विषयों का योग या 5 विषयों में से सर्वश्रेष्ठ), और आई.टी.आई. के प्रतिशत की गणना के लिए अंक,

अनंतिम/ अंतिम प्रमाण पत्र में उल्लिखित अंकों को लिया जाएगा।

माध्यमिक (दसवीं कक्षा या समकक्ष) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों को बोर्ड / परीक्षा प्रणाली के बावजूद माना जाएगा और केवल उस बोर्ड / परीक्षा प्रणाली के प्रतिशत सूत्र के अनुसार माना जाएगा।

रिक्ति की स्थिति के आधार पर, चयन सूची तैयार की जाएगी और केवल अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच के लिए बुलाया जाएगा।

बराबरी पर निर्णय

मेरिट सूची तैयार करने के लिए, दो उम्मीदवारों के समान अंक / प्रतिशत (टाई केस) होने की स्थिति में, अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी एक ही हो तो मैट्रिक की परीक्षा पूर्व (वर्ष) में उत्तीर्ण उम्मीदवार को प्रथम माना जायेगा। भले ही मैट्रिक परीक्षा पास करने का वर्ष एक ही हो, पहले आने वाले उम्मीदवार का नाम वर्णानुक्रम में पहले माना जाएगा।

निरीक्षण या अन्यथा किसी गलती या त्रुटि के मामले में, एच.वी.एफ. पात्र उम्मीदवारों की चयन सूची को संशोधित करने के लिए किसी भी समय कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में ए.वी.एन.एल./एच.वी.एफ. का निर्णय अंतिम होगा।

7. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और पी. एच. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण:

आरक्षण शिक्षता अधिनियम, 1961, शिक्षता नियम 1992 और उसके संशोधनों और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और मौजूदा सरकारी नियमों के तहत नियमों में संबंधित अनुसूची के अनुसार लागू है। पी. एच./पी. डब्ल्यू. डी. श्रेणी के लिए अधिसूचित रिक्तियां अलग नहीं हैं, लेकिन प्रावधान के अनुसार कुल रिक्तियों की संख्या में शामिल हैं। उम्मीदवारों का अंतिम चयन लागू आरक्षण नियमों के अनुसार अलग-अलग प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के क्रम में किया जाएगा।

8. प्रशिक्षण की अवधि:

गैर-आई.टी.आई. और आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए: प्रशिक्षण अवधि शिक्षता अधिनियम, 1961, शिक्षता नियम 1992 और उसके संशोधनों के अनुसार होगी। हालांकि, पूर्व-आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए, प्रशिक्षण अवधि शिक्षता नियम 1992 की अनुसूची-I और संबंधित ट्रेड में संशोधन के अनुसार कम हो जाएगी।

9. स्टाइपेंड :

ट्रेड अपरेंटिस को प्रति माह न्यूनतम स्टाइपेंड का भुगतान (अपरेंटिसशिप नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (1) के प्रावधान के अनुसार) किया जाएगा। ट्रेड अपरेंटिस अधिनियम 1961 के अनुसार और भारत के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, जी.एस.आर. 686(ई), भाग-II-धारा 37-उप-धारा(i) दिनांक 25 सितंबर 2019 को अपरेंटिस को प्रतिमाह दिया जाने वाला स्टाइपेंड होगा।

गैर-आई.टी.आई. (मैट्रिकुलेशन / दसवीं कक्षा के उम्मीदवार)	पहला वर्ष ₹6000 एवं दूसरा वर्ष ₹6600
पूर्व आई.टी.आई. (आई.टी.आई. पास उम्मीदवार)	पहला वर्ष ट्रेड के लिए ₹7700 दूसरा वर्ष ट्रेड के लिए ₹8050

शिक्षता प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

नोट करें : जॉइनिंग के समय, उम्मीदवार को अपने बैंक पासबुक (कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक का स्पष्ट खाता संख्या और आई.एफ.एस.सी. कोड के साथ) की एक प्रति जमा करना होगा।

10. शारीरिक फिटनेस के लिए मानकता:

अपरेंटिस अधिनियम, 1961, अपरेंटिसशिपनियम 1992 और उसके संशोधनों के अनुसार।

11. चिकित्सा जांच :

अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के सफल दस्तावेज सत्यापन के बाद, एच.वी.एफ. द्वारा चिकित्सा जांच आयोजित / तय की जाएगी। चिकित्सा जांच की तिथि, समय और स्थान अलग से सूचित किया जाएगा। ट्रेड अपरेंटिस को कार्य में लागाने की प्रक्रिया के लिए चिकित्सा जांच में चिकित्सकीय रूप से फिट उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

12. नियम एवं शर्तें :

चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप का अनुबंध का पालन करना होगा (यदि नाबालिग है, तो उसके अभिभावक द्वारा)। उपलब्धता के आधार पर, प्रशिक्षुओं को मकान/ छात्रावास आवास प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान, अपरेंटिस केवल नियमानुसार आयुध निर्माणी अस्पताल, एच.वी.एफ. एस्टेट, अवडी से चिकित्सा उपचार के लिए पात्र हैं। यदि किसी उम्मीदवार को ट्रेड अपरेंटिस के रूप में नामित ट्रेडों के लिए चुना जाता है, तो उसका प्रशिक्षण www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से पंजीकरण के अधीन होगा।

यदि किसी कारण से पंजीकरण प्रक्रिया उम्मीदवार को शिक्षता पोर्टल में पंजीकृत करने में सक्षम नहीं है, उम्मीदवार का प्रशिक्षण तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा। जिस उम्मीदवार ने प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है, वह राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर व्यावसायिक ट्रेडों में अपनी नामित प्रवीणता का निर्धारण करेगा, जिसमें एक अपरेंटिस के रूप में सेवा की है तो राष्ट्रीय परिषद द्वारा ट्रेड में प्रवीणता के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने में अपरेंटिसकी ओर से विफलता के लिए अपरेंटिस के अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति की स्थिति में (जैसा कि अपरेंटिसशिप नियम 1992 के तहत अधिसूचित किया गया है) और उसके संशोधन, उम्मीदवार / जमानत को इस तरह की राशि का भुगतान करना होगा प्रशिक्षण की लागत के रूप में अपरेंटिसशिप सलाहकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

13. प्रस्ताव और रोजगार की स्वीकृति:

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद किसी अपरेंटिस को रोजगार देना नियोक्ता के लिए अनिवार्य नहीं होगा और न ही नियोक्ता द्वारा पेश किए जाने पर अपरेंटिस के लिए कोई रोजगार स्वीकार करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपरेंटिस अधिनियम, 1961, शिक्षता नियम 1992 और उसके संशोधनों और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों और विनियमों से परिचित हों।

14. शुल्क का भुगतान

यू.आर. और ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क - ₹100 /- (अप्रतिदेय)। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पी.डब्ल्यू.डी. / अन्य (ट्रांसजेंडर) के लिए आवेदन शुल्क छूट प्राप्त। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा या पुनः उपयोग / समायोजित नहीं किया जाएगा। शुल्क का भुगतान आई.पी.ओ. (इंडियन पोस्टल ऑर्डर)/एस.बी.आई. कलेक्ट के जरिए करना होगा। [SBI Collect ▶ PSU (Public Sector Undertaking) ▶ Tamil Nadu ▶ Armoured Vehicles Nigam Limited, Tamil Nadu ▶ Select Payment category ▶ HVF – Apprentice Fee and Proceed for further Payment procedure].

15. मेडिकल फिटनेस

अधिनियम, 1961 और अपरेंटिसशिप नियम, 1992 के तहत समय-समय पर यथा संशोधित एक व्यक्ति को अपरेंटिस प्रशिक्षणप्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जब वे संबंधित ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसमें निर्धारित शारीरिक फिटनेस के न्यूनतम मानकों को पूरा करना होगा और आयुध निर्माणी अस्पताल – एच.वी.एफ. द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

16. सहायता केंद्र:

आवेदन भरते समय किसी भी संदेह के लिए, उम्मीदवार आधिकारिक ई-मेल आई.डी.: hvfhrd@ord.gov.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और टेलीफोन नंबर 044-26843862, 044-26843864 और 044-26843215 पर सुबह 09:00 बजे से 12:30 तक और दोपहर 2.00 बजे से 16:30 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर कॉल कर सकते हैं।

17. उम्मीदवारों के लिए सामान्य जानकारी:

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से नोट करें :

- I. उम्मीदवारों को इस विज्ञापन में प्रदर्शित लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एच.वी.एफ. के विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें।
- II. यह नोट करें कि केवल आवेदन जमा करने से एच.वी.एफ. में ट्रेड अपरेंटिस के रूप में शामिल होने की गारंटी नहीं है। उम्मीदवारों का चयन श्रेणीवार उपलब्ध रिक्तियों पर विचार करते हुए ट्रेड-वार मेरिट सूची/चयन सूची के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में सभी आवेदकों की उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अनंतिम होगी। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी और चयन मूल प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच, स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षण और विज्ञापन में वर्णित अन्य पात्रता मानदंड और अधिनियम अपरेंटिस अधिनियम 1961 और अपरेंटिसशिप नियम, 1992 के प्रावधानों और उसके सभी संशोधनों के अधीन होगा। हालांकि, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में लंबित/ विलंब उम्मीदवार को अस्वीकार करने के लिए आधार नहीं होगा।
- III. उम्मीदवारों को सावधानी से विज्ञापन के विवरण को पढ़ने की आवश्यकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शैक्षिक योग्यता मानदंड में प्राप्त अंकों/ प्रतिशत को सावधानीपूर्वक भरें। उम्मीदवारों को इस विज्ञापन के लिए अपना आवेदन जमा करने से पहले इस विज्ञापन के नियमों और शर्तों से सहमत होना है। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए एक चेकलिस्ट और उम्मीदवारों को आवेदन की हार्डकॉपी जमा करने से पहले इस विज्ञापन में सभी शर्तों को पूरा करने की पुष्टि करनी होगी।
- IV. उम्मीदवारों को किसी भी अद्यतन और परिवर्तन के लिए आवेदन जमा करने की शुरुआत / समापन तिथि के लिए "कैरियर" टैब के तहत वेबसाइट (लिंक) को नियमित रूप से देखना आवश्यक है।
- V. उम्मीदवारों को आवधिक नोटिस के लिए वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. देना आवश्यक है।
- VI. किसी भी प्रकार की सिफारिश उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगी। योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया सख्ती से की जाती है।
- VII. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आएं।
- VIII. तथ्यों को छुपाने या जाली प्रमाणपत्र जमा करने पर इस प्रक्रिया के चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- IX. रिक्ति, पात्रता, किसी भी आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में ए.वी.एन.एल./एच.वी.एफ. का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- X. मौजूदा नियमों के अनुसार ट्रेड अपरेंटिस की नियुक्ति के नियमों और शर्तों में बाद में कोई भी बदलाव सही रहेगा। ए.वी.एन.एल./एच.वी.एफ. के पास इस विज्ञापन नोटिस के तहत आवश्यक और लागू नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के बदलाव/संशोधन/परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है। कोई भी शुद्धिपत्र वेबसाइट (लिंक) पर प्रकाशित किया जा सकता है।
- XI. ट्रेड अपरेंटिस की नियुक्ति के संबंध में कोई भी विवाद चेन्नै के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।
- XII. दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाए गए किसी भी उम्मीदवार को कोई परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- XIII. अधिनियम अपरेंटिस अधिनियम, 1961 और अपरेंटिसशिप नियम, 1992 के सभी प्रावधान और तिथि के अनुसार सभी संशोधन लागू हैं।

नोट-I: अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में अंतिम तिथि और समय से पहले आवेदन जमा करें।

नोट-II: एचवीएफ उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारणों से अंतिम दिन के भीतर अपना आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा।

18. उम्मीदवारी की अस्वीकृति :

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र भरने से पहले सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक और अच्छी तरह से पढ़ लें। अन्यथा, उनके आवेदनों को निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से अस्वीकार किए जाने की संभावना है। उम्मीदवार के आवेदन या उम्मीदवारी को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से अस्वीकार किया जा सकता है:

- I. अधूरा आवेदन, अस्पष्ट या अपठनीय दस्तावेज जमा किए जाने पर।
- II. डाउनलोड किए गए प्रारूप (वेबसाइट लिंक के माध्यम से) या हस्तलिखित / स्व-टाइप किए गए आवेदनों के अलावा अन्य आवेदन पत्र।
- III. इस विज्ञापन की तिथि के अनुसार एच.वी.एफ. में ट्रेड अपरेंटिसशिप प्राप्त करने के लिए इस विज्ञापन में बताए गए निर्धारित योग्यता नहीं हैं।
- IV. अधिक आयु या कम आयु या जन्म तिथि नहीं भरी गई / स्पष्ट नहीं या गलत भरी गई।
- V. दो या अधिक आवेदन जमा किए जाने पर। आई.टी.आई. और गैर-आई.टी.आई. दोनों रिक्तियों के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी।
- VI. केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्त नए आवेदन पर विचार किया जाएगा।
- VII. फोटो के बिना आवेदन, टोपी के साथ फोटो, चश्मा पहने हुए, विकृत, पहचानने योग्य या अस्पष्ट या अज्ञात फोटो। बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन, प्रस्तुत अस्पष्ट दस्तावेज।
- VIII. उम्मीदवार का नाम प्रतिबंधित सूची में है तो।
- IX. कोई अन्य अनियमितताएं जो एच.वी.एफ. द्वारा आवेदक की उम्मीदवारी को अमान्य कर सकती हैं।
- X. 10वीं प्रमाणपत्र/आई.टी.आई. प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जमा किए गए अंकों और उत्तीर्ण होने के वर्ष का बेमेल होना।
- XI. एप्लाइड ट्रेड और आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण-पत्र के बीच असंबंधित यानी विभिन्न निर्दिष्ट ट्रेडों में निर्धारित शैक्षिक / तकनीकी (आई.टी.आई.) योग्यता के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदन जैसा कि विज्ञापन में दर्शाया गया है तो।
- XII. आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क आंशिक रूप से या मूल आई.पी.ओ. (भारतीय पोस्टल ऑर्डर) / एस.बी.आई. कलेक्ट के रूप में प्रस्तुत / संलग्न नहीं है तो।
- XIII. अमान्य आई.पी.ओ. (भारतीय पोस्टल ऑर्डर) आवेदन पत्र के साथ संलग्न है तो।

19. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति

1. सभी उम्मीदवारों (गैर- आई.टी.आई. और पूर्व- आई.टी.आई.) के लिए:

- क) आधार कार्ड
- ख) एस.एस.सी. (मैट्रिकुलेशन / 10 वीं कक्षा) या इसके समकक्ष मार्कशीट।
- ग) स्थानांतरण प्रमाणपत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।
- घ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, जहां भी लागू हो। पिछले तीन वर्षों में जारी ओ.बी.सी. के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र।
- ङ) पी. एच. / पी. डब्ल्यू. डी. उम्मीदवार के मामले में, सक्षम मेडिकल बोर्ड / प्राधिकरण द्वारा जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र।

2. पूर्व- आई.टी.आई. उम्मीदवार:

उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा

- क) संबंधित आई.टी.आई. पास ट्रेड के सभी सेमेस्टर के लिए समेकित मार्कशीट जिसके लिए आवेदन किया गया था।
- ख) एन.सी.वी.टी. द्वारा जारी नेशनल ट्रेड प्रमाण-पत्र या आई.टी.आई. पास उम्मीदवारों के लिए एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. द्वारा जारी प्रोविजनल नेशनल ट्रेड प्रमाण-पत्र।